भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1141

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्यान्नों का निर्यात

1141. श्री छतर सिंह दरबार:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि में विश्व खाद्यान्न बाजार में देश का हिस्सा कितना है:

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्न निर्यात में गिरावट के परिणामस्वरूप इस बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की खुली बाजार नीति के तहत देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 2021 में निर्यातित मूल्यों के आधार पर विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत की हिस्सेदारी 7.66% थी (स्रोत:यूएन कॉमट्रेड और आईटीसी सांख्यिकी पर आधारित आईटीसी ट्रेड मैप गणना)।

(ख) से (घ): भारत के खाद्यान्न निर्यात ने पिछले कुछ वर्षों में एक स्थिर वृद्धि दर्ज की है जो यूएन कॉमट्रेड सांख्यिकी के अनुसार 2010 में विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.38% से बढ़कर 2021 में 7.66% हो गई है। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियों और क्लस्टर स्तर की समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजना भी तैयार की गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो खाद्यान्न सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को अपनी स्कीम"एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात

संवर्धन योजना", के घटकों जैसे निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास (बीएसएम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके; आयात करने वाले देशों के साथ सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) और बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाकर; और विभिन्न देशों में निर्यात अवसरों का दोहन करने के लिए भारतीय मिशनों के साथ नियमित बातचीत करके निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यातकों की सहायता करता है।

इसके अलावा, एपीडा के तत्वावधान में चावल और पोषक-अनाज के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) स्थापित किए गए हैं। ईपीएफ इन उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित विकास की पहचान और पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करते हैं, निर्यात के पूरे उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों तक पहुंचते हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों और अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करते हैं।

कृषि और सम्बंधित उत्पादों के उत्पादन और विपणन में स्केल की सामूहिक अर्थ व्यवस्थाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किए गए है। यह उत्पादन की औसत लागत को कम करने में मदद करता है, इसलिए विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है।

*****